308/4...

संशोधन-3

संख्याः 349 /X-4-17/1(174)/2016

प्रेषक,

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातंरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 17 अगस्त, 2017

विषयः जनपद उद्यमसिंह नगर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-87 (रामपुर से काठगोदाम) तक दो लेन में 4/6 लेन में चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 59.243 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-130/1जी-3678(ऊधम0), दिनांक 12 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उद्यमसिंह नगर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-87 (रामपुर से काठगोदाम) तक दो लेन में 4/6 लेन में चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 59.243 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-एफ0न0-8-97/2012-एफ0सी0, दिनांक 10.11.2014 द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति के कम में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-256/X-4-14/01-06(03)/2014, दिनांक 09.12.2014, संशोधन शासनादेश संख्या-16/X-4-15/01-06(03)/2014, दिनांक 16.01.2015 एवं संशोधन शासनादेश संख्या-1130/X-4-16/01-06(03)/2014, दिनांक 25.01.2017 में निहित शर्तों को नियमानुसार संशोधित किया जाता है-

1. शर्त संख्या-2 को संशोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय, कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर उक्त प्रत्यावर्तित भूमि 59.243 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 118.486 हे0 (Degraded forest land) आरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
2. शर्त संख्या-3 अंतर्गत म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने संबंधी प्राविधान को प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण शुन्य समझा जाये।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 09.12.2014 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 349 (1)/ X-4-17/1(174)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर/नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय/तराई पूर्वी/हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
7. परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, काशीपुर रोड़, रूद्रपुर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।